63

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 420-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-12-2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 194/अपील/14-15

ओमप्रकाश भार्गव आ0श्री महादेवप्रसाद भार्गव,
निवासी मुलताई तहसील मुलताई
जिला बैतूल

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल
2-अनुविभागीय अधिकारी
मुलताई तहसील मुलताई जिला बैतूल

.....प्रत्यर्थीगण

श्री आर0पी0यादव, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला बैतूल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुलताई स्थित भूमि खसरा नम्बर 231, 519 एवं 520 उसके स्वामित्व की भूमि है जिसके मध्य खसरा नम्बर 518 जो कि

राजस्व अभिलेख में नाले के रूप में दर्ज है, जो अपीलार्थी की भूमि से लगा हुआ है, लम्बे समय से नाले की दिशा में परिवर्तन होकर अपीलार्थी की भूमि सर्वे नम्बर 519 एवं 520 के मध्य से बहने लगा है जिससे उस भाग का उपयोग नहीं हो पा रहा है । अपीलार्थी के द्वारा नक्शे में संशोधन कर सर्वे नम्बर 518 नाले की भूमि के स्थान पर अपीलार्थी का नाम अंकित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 24-3-15 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-12-2015 को आदेश पारित अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) संहिता की धारा 107 के प्रावधानों में नक्शों में संशोधन के प्रावधन है इस प्रकरण में विवाद यह है कि अपीलार्थी की भूमि से लगा हुआ शासकीय नाला है जो समय के अनुसार बहते बहते स्थन परिवर्तन कर इस अपीलार्थी की भूमि से बहने लगा है और अपीलार्थी की भूमि नाले में परिवर्तित हो गई है और नाले की भूमि समतल हो गई है । चूँकि शासकीय नाले के परिवर्तन से अपीलार्थी की भूमि नष्ट हो गई है तब नाले की भूमि समतल होने से उस भूमि पर प्रथम अधिकार अपीलार्थी का ही बनता है और इसी दुरूस्ती के लिये अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया था जिसमें कोई त्रुटि नहीं है ।

(2) असंबद्ध व्यक्तियों की आपत्ति व हस्तक्षेप एवं आधारहीन आपत्ति को आधार मानकर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में भूल की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों को यह देखना चाहिये था कि उक्त संव्यवहार अपीलार्थी एवं शासन के मध्य था और शासन को कोई नुकसान नहीं हो रहा हो तो इस प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं जिससे शासन का कोई अहित हो रहा हो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि शासन को कोई हानि नहीं हो रही थी दोनों भूमियों का रकबा बराबर है दोनों भूमियॉ एकसमान कीमत की है और शासकीय नाला अपीलार्थी की भूमि में आ गया है तो अपीलार्थी को जो क्षति हुई उसे उक्त समतल स्थान पर भूमि दिये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा नाले की भूमि की मांग की गई है । अपीलार्थी ने छोटे छोटे भूखंडों में विभक्त कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है तथा इस Process में नाले की दिशा परिवर्तन कर निजी लाभ के लिये नाले की भूमि की मांग कर रहा है । अत: कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं न्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-12-2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर